

प्रेषक,

सी रवि शंकर,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज विभाग,
डांडा लखौण्ड, सहराधारा रोड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 13 अप्रैल, 2023

विषय:-

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में त्रिस्तरीय पंचायतों को अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश सं-F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25, दिनांक: 31.03.2023 द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त ₹87,83,30,000.00 (₹ सत्तासी करोड़ तिरासी लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि दिनांक: 31.03.2023 को अवमुक्त की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त ₹87,83,30,000.00 (₹ सत्तासी करोड़ तिरासी लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संलग्न विवरणानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को अंतरित करने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त हेतु प्राप्त ₹878330 हजार की धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्नवत अंतरित की जा रही है:-

क्र. सं.	पंचायतीराज संस्था का नाम	अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय किश्त का विवरण (₹हजार में)
1-	जिला पंचायतें	132000
2-	क्षेत्र पंचायत	88000
3-	ग्राम पंचायतें	658330
योग		878330

4- उपर्युक्त धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही है:-

- (1) वित्त अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन. के शासनादेश सं0-132/xxviii(6)/430/ एक/ 2008/ 2019, दिनांक: 29 मार्च, 2019 द्वारा समस्त शासकीय विभागों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) लागू है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार (1) जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक

I/114185/2023

I/114185/2023

पंचायतीराज द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के माध्यम से बिल तैयार कर संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। (2) ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायतीराज द्वारा धनराशि संलग्न विवरणानुसार तत्काल सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी। तदोपरान्त जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज व जिला पंचायतीराज अधिकारी द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

(2) शासनादेश संख्या: 381/06/(वि.आ.निदे.)/xxvii(1)/2020, दिनांक: 26.05.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं हेतु निर्धारित बैण्ड के अनुसार अनुदान की धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

(3) वित्त मंत्रालय के शासनादेश दिनांक 31.03.2023 के अनुसार राज्य सरकार (राज्य वित्त विभाग) को ग्रांट इन एड की धनराशि सीधे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बिना किसी कटौती के 10 कार्य दिवसों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर देनी चाहिए। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी विलम्ब के लिये औसत ब्याज, बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण की पूर्व वर्ष की प्रभावी ब्याज दरों के साथ अनुदान की धनराशि का भुगतान निकायों को किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतराज का होगा।

(4) ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 40 प्रतिशत अनिर्दिष्ट/ अनाबद्ध है, जिसका उपयोग उनके द्वारा वेतन एवं अन्य अवस्थापना व्यय को छोड़कर विशिष्ट आवश्यकताओं के अन्तर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में उनतीस विषयों के तहत आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए किया जायेगा तथापि बाह्य एजेंसियों द्वारा लेखाओं के लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, को इस अनुदान से खर्च किया जा सकता है।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय-7 "स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण" एवं शासनादेश दिनांक: 08.05.2021 (प्रति संलग्न) तथा भारत सरकार द्वारा इस अवधि में निर्गत किये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) पंचायतों द्वारा प्रत्येक वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को अगले वर्ष के 15 मई तक ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020-21 हेतु ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई, 2021 तक उपलब्ध कराया जाना होगा। पंचाट अवधि 2021-22 और 2022-23 के पहले और दूसरे वर्ष में राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास पिछले वर्ष के अनंतिम

लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हों ताकि उस वर्ष में वे पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें।

(7) तीसरे वर्ष (2023-24) से आगे, राज्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देय अनुदान तभी प्राप्त करेंगे, जब ग्रामीण स्थानीय निकायों कि पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा होंगे और इन्हें उन्होंने ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य के 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास वर्ष 2022-23 के लिए अनन्तिम लेखा है और वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित लेखा है और इन दोनों को 2023-2024 में ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, तब 2023-24 में राज्य 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल देय राशि प्राप्त करेंगे।

(8) निदेशक, पंचायतीराज से प्राप्त पत्र संख्या: 193/3-पं./ग्रा.पं./173/2020-21 दिनांक: 28 मई, 2020 के अनुसार उत्तराखण्ड में परिसीमन/ग्राम पंचायतों के शहरी स्थानीय निकायों में संविलियन तथा कतिपय शहरी स्थानीय निकायों में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का पुनः ग्राम पंचायतों के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की स्थिति में अन्तर आया है। इस बदले हुए जनसंख्या व क्षेत्रफल के अनुसार ही धनराशि अवमुक्त की जा रही है, जिसके कारण जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अंश एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि में आंशिक वृद्धि अथवा कमी सम्भव है।

(9) जिला पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर व क्षेत्र पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमुख, क्षेत्र पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा ग्राम पंचायतों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निदेशक, पंचायतीराज से प्रतिहस्ताक्षरित कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा तीनों स्तरों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का अपने स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त उनको प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण-पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (वित्तीय व भौतिक प्रगति) भी संलग्न करना आवश्यक होगा। संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 30 जून, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त ही अगली किश्त की धनराशि संक्रमित की जायेगी।

(10) समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये निदेशक, पंचायतीराज, अपर मुख्य अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। अवमुक्त धनराशि के समुचित

I/114185/2023

I/114185/2023

उपयोग के लिए निदेशालय स्तर पर निदेशक, पंचायतीराज तथा जिला स्तर पर विभागीय अपर मुख्य अधिकारी पंचायतीराज अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली-2017 (संशोधित) में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(12) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(13) जिला पंचायतों हेतु जिला पंचायतवार, क्षेत्र पंचायतों हेतु क्षेत्र पंचायतवार एवं ग्राम पंचायतों हेतु क्षेत्र पंचायतवार व ग्राम पंचायतवार फाटें, अलाटमेंट आई.डी एवं अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र का प्रारूप-II संलग्न है। ई-मेल से भी शासनादेश उपलब्ध कराया जा रहा है। निकायों को धनराशि हस्तान्तरित करते ही प्रारूप-II पर वांछित सूचना विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज के हस्ताक्षर से वित्त विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

(14) ऐसी ग्राम पंचायतें, जो अद्यतन असंगठित हैं उन ग्राम पंचायतों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। पंचायतीराज निदेशालय से प्राप्त विवरणानुसार उन ग्राम पंचायतों को धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है।

(15) यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई नगर पंचायत/नगर पालिका का गठन हो गया हो अथवा किसी नगर पंचायत को पुनः ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत अथवा अन्य नगर निकायों को (जैसी भी स्थिति हो) अवमुक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन के पत्र सं०- 822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 एवं शासनादेश सं०-1344/XXVII (1)/ 2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित निकाय को किया जायेगा, जिसकी सूचना सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(16) 15वें वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर "15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य" निर्माण कार्य का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा :-

(धनराशि हजार ₹ में)

क्र. सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	संक्रमित धनराशि
1	2	3	4
1-	जिला पंचायतें	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 00-200- अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन- 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-07 - जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100 प्रतिशत के0पो0) -56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।	132000
2-	क्षेत्र पंचायतें	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 00-200- अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन- 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-09 - क्षेत्र पंचायतों हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100 प्रतिशत के0पो0) -56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।	88000
3-	ग्राम पंचायतें	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 00-200- अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन- 01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-11 - ग्राम पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनटाईड अनुदान (100 प्रतिशत के0पो0) -56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।	658330
योग			878330

(रुसत्तासी करोड़ तिरासी लाख तीस हजार मात्र)

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar

Date: 12-04-2023 15:41:17

(सी.रवि शंकर)

अपर सचिव, वित्त।

संख्या: E 1/114185/2023-46834- FCD-IRFC/1/2023/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11, पंचम तल सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
- 5- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी-उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी/जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 11- निजी सचिव, मा० पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 12- एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

(सी.रवि शंकर)

अपर सचिव, वित्त।

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किस्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतरित किये जाने हेतु जिला पंचायतवार विवरण

(रु. हजार में)		
क्रम संख्या	जिला पंचायत का नाम	जिला पंचायतों वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किस्त हेतु हस्तान्तरित धनराशि
1	2	3
1	अल्मोड़ा	10826
2	बागेश्वर	6440
3	चमोली	10691
4	चम्पावत	4661
5	देहरादून	10725
6	हरिद्वार	19937
7	नैनीताल	7248
8	पौड़ी गढ़वाल	11901
9	पिथौरागढ़	9666
10	रूद्रप्रयाग	5409
11	टिहरी गढ़वाल	11135
12	उधमसिंह नगर	16369
13	उत्तरकाशी	6992
	योग	132000

(रु. तेरह करोड़ बीस लाख मात्र)

Signed by C Ravi Shankar

Date: 12-04-2023 15:41:49

(सी रवि शंकर)

अपर सचिव, वित्त

I/114187/2023

I/114187/2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतरित किये जाने हेतु क्षेत्र पंचायतवार विवरण

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु हस्तान्तरित की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1-अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	831
	2	ताकुला	734
	3	धौलादेवी	1017
	4	भैंसियाछाना	559
	5	हवलबाग	1002
	6	लमगड़ा	892
	7	द्वाराहाट	954
	8	सल्ट	862
	9	भिवियासैण	512
	10	ताड़ीखेत	873
	11	चौखुटियाँ	748
		योग:-	8984
2-बागेश्वर	1	कपकोट	1525
	2	गरुड़	1028
	3	बागेश्वर	1342
		योग:-	3895
3-चमोली	1	कर्णप्रयाग	825
	2	जोशीमठ	2123
	3	दशोली	786
	4	घाट	798
	5	पोखरी	714
	6	गैरसैण	1002
	7	थराली	662
	8	देवाल	650
	9	नारायणबगड़	731
		योग:-	8291
4-चम्पावत	1	लोहाघाट	626
	2	बाराकोट	585
	3	पाटी	900
	4	चम्पावत	1262
		योग:-	3373
5-देहरादून	1	डोईवाला	1110
	2	रायपुर	332
	3	सहसपुर	1289
	4	विकासनगर	1597
	5	चकराता	832
	6	कालसी	726
		योग:-	5886

I/114187/2023

I/114187/2023

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु हस्तान्तरित की जा रही धनराशि
1	2	3	4
6-हरिद्वार	1	भगवानपुर	2048
	2	खानपुर	573
	3	रुड़की	1621
	4	नारसन	2029
	5	लकसर	1671
	6	बहादुराबाद	3036
		योग:-	10978
7-नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	658
	2	भीमताल	498
	3	बेतालघाट	466
	4	हल्द्वानी	979
	5	रामनगर	921
	6	रामगढ़	576
	7	कोटाबाग	681
	8	धारी	356
		योग:-	5135
8-पौड़ी गढ़वाल	1	बीरौखाल	742
	2	द्वारीखाल	549
	3	दुगड़ा	340
	4	एकेश्वर	413
	5	जयहरीखाल	388
	6	कल्जीखाल	534
	7	खिसू	503
	8	कोट	593
	9	नैनीडांडा	604
	10	रिखणीखाल	541
	11	थलीसैण	878
	12	यमकेश्वर	703
	13	पौड़ी	572
	14	पाबो	646
	15	पोखड़ा	522
		योग:-	8528
9-पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	1160
	2	मुनाकोट	961
	3	कनालीछीना	945
	4	धारचूला	1047
	5	पिथौरागढ़	1022
	6	डीडीहाट	827
	7	मुनस्यारी	1107
	8	बेरीनाग	898
		योग:-	7967
10-रूद्रप्रयाग	1	अगस्त्यमुनी	1451
	2	जखोली	1132

I/114187/2023

I/114187/2023

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	क्षेत्र पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु हस्तान्तरित की जा रही धनराशि
1	2	3	4
	3	ऊखीमठ	860
		योग:-	3443
11-टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	694
	2	कीर्तिनगर	787
	3	चम्बा	677
	4	देवप्रयाग	709
	5	भिलंगना	1300
	6	थौलधार	738
	7	जौनपुर	957
	8	प्रतापनगर	862
	9	जाखणीधार	769
		योग:-	7493
12-ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	1719
	2	सितारगंज	1765
	3	रुद्रपुर	1071
	4	गदरपुर	1294
	5	बाजपुर	1360
	6	काशीपुर	828
	7	जसपुर	1235
		योग:-	9272
13-उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	900
	2	डुण्डा	861
	3	चिन्यालीसौड़	703
	4	नौगाँव	986
	5	पुरोला	530
	6	मोरी	775
		योग:-	4755
		योग:-	88000

(₹ आठ करोड़ अस्सी लाख मात्र)

Signed by C Ravi Shankar

Date: 12-04-2023 15:42:23

(सी रवि शंकर)

अपर सचिव, वित्त।

I/114188/2023

I/114188/2023

15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतरित किये जाने हेतु क्षेत्र पंचायतवार विवरण।

(₹ हजार में)

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किश्त हेतु हस्तान्तरित की जा रही धनराशि
I	2	3	4	5
1-अल्मोड़ा	1	स्याल्दे	94	6673
	2	ताकुला	88	6101
	3	धौलादेवी	110	8244
	4	भैंसियाछाना	53	3707
	5	हवलबाग	125	8942
	6	लमगड़ा	100	7204
	7	द्वाराहाट	119	8413
	8	सल्ट	137	7958
	9	भिकियासैण	99	5298
	10	ताड़ीखेत	129	7694
	11	चौखुटियाँ	95	6481
		योग:-	1149	76715
2-बागेश्वर	1	कपकोट	119	11242
	2	गरुड़	101	8405
	3	बागेश्वर	182	13909
		योग:-	402	33556
3-चमोली	1	कर्णप्रयाग	94	7079
	2	जोशीमठ	58	5666
	3	दशोली	63	5228
	4	घाट	55	5055
	5	पोखरी	72	5425
	6	गैरसैण	95	7909
	7	थराली	48	3981
	8	देवाल	44	3584
	9	नारायणबगड़	78	5938
		योग:-	607	49865
4-चम्पावत	1	लोहाघाट	66	4482
	2	बाराकोट	48	3582
	3	पाटी	85	6612
	4	चम्पावत	113	9161
		योग:-	312	23837
5-देहरादून	1	डोईवाला	36	7402
	2	रायपुर	35	2298
	3	सहसपुर	50	8438
	4	विकासनगर	53	10239
	5	चकराता	116	7000
	6	कालसी	1 111	6452

I/114188/2023
I/114188/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किस्त हेतु हस्तान्तरित की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
6-हरिद्वार		योग-	401	41829
	1	भगवानपुर	53	13586
	2	खानपुर	23	3788
	3	रुड़की	43	10986
	4	नारसन	58	13619
	5	लक्सर	49	10420
	6	बहादुराबाद	70	20177
		योग-	296	72576
7-नैनीताल	1	ओखलकाण्डा	75	4924
	2	भीमताल	60	3852
	3	बेतालघाट	75	3749
	4	हल्द्वानी	60	6695
	5	रामनगर	53	6101
	6	रामगढ़	59	4063
	7	कोटाबाग	56	4823
	8	धारी	41	2633
		योग-	479	36840
8-पौड़ी गढ़वाल	1	बीरोंखाल	97	6369
	2	द्वारीखाल	97	4778
	3	दुग्गडा	67	3085
	4	एकेश्वर	81	4320
	5	जयहरीखाल	73	3459
	6	कल्जीखाल	87	4843
	7	खिर्सू	50	3364
	8	कोट	69	4665
	9	नैनीडांडा	88	5102
	10	रिखणीखाल	81	4571
	11	थलीसैण	103	7139
	12	यमकेश्वर	86	5498
	13	पौड़ी	63	4198
	14	पाबो	72	4846
	15	पोखड़ा	58	3873
		योग-	1172	70110
9-पिथौरागढ़	1	गंगोलीहाट	117	9724
	2	मुनाकोट	76	6855
	3	कनालीछीना	92	7484
	4	धारचूला	62	6949
	5	पिथौरागढ़ (विण)	85	7641
	6	डीडीहाट	71	5860
	7	मुनस्यारी	99	8731
	8	बेरीनाग	84	6725
		योग-	2 686	59969

I/114188/2023

I/114188/2023

जनपद का नाम	क्रम संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनाबद्ध अनुदान (Untied Grant) की द्वितीय किस्त हेतु हस्तान्तरित की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
10-रुद्रप्रयाग	1	अगरस्त्यमुनी	159	13314
	2	जखोली	108	9230
	3	ऊखीमठ	69	5973
		योग-	336	28517
11-टिहरी गढ़वाल	1	नरेन्द्र नगर	118	5800
	2	कीर्तिनगर	97	6721
	3	चम्बा	104	5982
	4	देवप्रयाग	104	5949
	5	भिलंगना	182	12751
	6	थौलधार	93	6174
	7	जौनपुर	146	8451
	8	प्रतापनगर	98	7175
	9	जाखणीधार	92	6478
		योग-	1034	65481
12-ऊधम सिंह नगर	1	खटीमा	64	11117
	2	सितारगंज	74	11620
	3	रुद्रपुर	42	6996
	4	गदरपुर	52	8690
	5	बाजपुर	58	9066
	6	काशीपुर	33	5540
	7	जसपुर	52	8300
		योग-	375	61329
13-उत्तरकाशी	1	भटवाड़ी	84	7012
	2	डुण्डा	100	7294
	3	चिन्नालीसैण	81	5643
	4	नौगाँव	131	9054
	5	पुरोला	43	3192
	6	मोरी	68	5511
		योग-	507	37706
		महायोग :-	7756	658330

(पैंसठ करोड़ तिरासी लाख तीस हजार मात्र)

Signed by C Ravi Shankar

Date: 12-04-2023 15:42:57

(सी रवि शंकर)

अपर सचिव, वित्त